न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. जगदीश पुत्र रेवड निवासी ग्राम बाडोली तहसील राहूवास जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. तहसीलदार राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में लम्बित प्रकरण संख्या 12/2017 उनवानी सरकार बनाम जगदीश व अन्य को सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु।

उपस्थिति : श्री बलराम मीना अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः–10.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश व अन्य प्रकरण संख्या 12/2017 विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिकॉर्ड तलब करवाये जाने का दिनांक 12.01.2018 को प्रस्तुत किया था। जिसको आज दिनांक तक फैसल नहीं किया गया है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया है एवं तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उक्त प्रकरण को देरी ना करने के उद्देश्य से प्रकरण में फैसला नहीं कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। इसलिय प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश व अन्य प्रकरण संख्या 12/2017 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2017 उनवानी सरकार बनाम जगदीश व अन्य विचाराधीन है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट भी उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में जानबूझकर देरी ना करने के उद्देश्य से प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा से न्याय की कोई आशा नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में लम्बित प्रकरण संख्या 12/2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश धारा 175 आरटी एक्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड रामगढ पचवारा में विचाराधीन है। जिसमे तहसीलदार राहूवास से रिपोर्ट लेकर शीघ्र विधिवत रूप से तारीख पेशी दी जाकर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, फिर भी यदि प्रार्थी उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचारधीन प्रकरण संख्या 12/2017 उनवानी सरकार बनाम जगदीश व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचारधीन प्रकरण संख्या 12/2017 उनवानी सरकार बनाम जगदीश व अन्य से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 21.04.2023 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकरी दौसा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा एवं उपखण्ड अधिकरी दौसा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 10.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा